भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6165

बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के अंतर्गत स्वीकृत सोलर पीवी सेल की आवश्यकता से छूट

6165. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के घटक-'क' के अंतर्गत सौर परियोजनाएं, जिनकी बोली की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 को अथवा उससे पहले थी, को अनुमोदित मॉडल और निर्माता सूची (एएलएमएम) सूची-II के अंतर्गत सूचीबद्ध सौर पीवी सेल का उपयोग करने की आवश्यकता से मुक्त हैं और उन्हें अनिवार्य घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) के बिना केवल एएलएमएम सूची-I के अंतर्गत सूचीबद्ध सौर मॉड्यूल का उपयोग करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार राज्यों और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को ऐसे पीएम-कुसुम घटक-'क' परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करेगी तथा 31 अगस्त 2025 से पूर्व बोली प्रस्तुत किए जाने के बावजूद लंबित परियोजनाओं की राज्य-बार संख्या क्या है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार,

i. बोली के माध्यम से आवंटित परियोजनाओं के लिए, यदि बोली जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 की कट-ऑफ तिथि या उससे पहले है, तो ये परियोजनाएं सौर सेल्स के लिए एएलएमएम से मुक्त होंगे; अन्यथा नहीं। इस प्रावधान की प्रयोज्यता उन बोलियों पर है जो दिनांक 28.07.2025 को सक्रिय थीं। तथापि, यदि उन निविदाओं की बोली की शर्तों में जहां बोली जमा करने की अंतिम तिथि 09.12.2024 (सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम के कार्यान्वयन के लिए एमएनआरई के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि) और दिनांक 28.07.2025 (दिनांक

09.12.2024 के एमएनआरई उक्त कार्यालय ज्ञापन में संशोधन की तिथि) के बीच थी, जिसमें स्पष्ट रूप से एएलएमएम की सूची-II से सौर पीवी सेलों के उपयोग का प्रावधान है, ऐसी शर्तें वैध रहेंगी।

ii. नेट-मीटरिंग और ओपन एक्सेस परियोजनाएं, यदि दिनांक 1 जून, 2026 की प्रभावी तिथि से पहले चालू हो जाती हैं, तो परियोजनाओं को सौर सेल के लिए एएलएमएम से छूट दी जाएगी, अन्यथा नहीं।

(ख) सरकार ने राज्यों और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पीएम-कुसुम योजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पीपीए पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि 31.12.2025 शामिल है। एएलएमएम I और II की प्रयोज्यता को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09.12.2024 और 28.07.2025 के माध्यम से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

घटक क के तहत, एसआईए ने दिनांक 28.02.2026 तक 839 मेगावाट की स्थापना की सूचना दी है। पीएम-कुसुम योजना के घटक क के तहत प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

दिनांक 01.04.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 6165 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम कुसुम योजना के घटक 'क' के अंतर्गत प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत क्षमता (मेगावाट में)**	**स्थापना (मेगावाट में)**
1.	असम	2.00	0.00
2.	छत्तीसगढ	366.00	7.00
3.	गोवा	24.00	4.00
4.	गुजरात	175.00	0.00
5.	हरियाणा	158.00	29.21
6.	हिमाचल प्रदेश	100.00	100.00
7.	लद्दाख	0.00	0.00
8.	मध्य प्रदेश	1,401.00	75.10
9.	महाराष्ट्र	260.00	17.00
10.	ओडिशा	90.00	0.00
11.	राजस्थान	5,618.00	597.09
12.	तमिलनाडु	3.00	3.00
13.	तेलंगाना	1,797.00	6.00
14.	त्रिपुरा	5.00	0.00
15.	उत्तर प्रदेश	1.00	1.00
	कुल	**10,000.00**	**839.40**
